

# NCRES



## NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.  
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)  
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

**R. P. Singh**

Gen. Secretary

&

Joint Gen. Secretary-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony

Sulem Sarai, Prayagraj - 211011

P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No. 123/NCRES/79/23

Date : 8.6.2023

श्रीमान प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक  
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :- NCRES का PNM मद सं० 7/11/2018 – नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में  
कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 15 मिनट का "लंच ब्रेक" देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

NCRES के PNM बैठक में मद संख्या 7/11/2018 पर चर्चा के उपरान्त PCCM के निर्देश पर Dy CCM(G) ने अपने पत्र दिनांक 3.6.2020 द्वारा बुकिंग क्लर्कों को 15 मिनट का लंच ब्रेक देने के लिये मण्डलो से प्रस्ताव मांगा था, जिस पर Sr. DCM/Agra ने अपने पत्र दिनांक 13.8.2020 (संलग्न), Sr. DCM / JHS ने अपने पत्र दिनांक 20.8.2020 (संलग्न) व Sr. DCM / PRYJ ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2020 (संलग्न) द्वारा प्रधान कार्यालय को टिप्पणी/प्रस्ताव भेजा गया कि "ऐसे स्टेशनो पर जहाँ 02 से अधिक बुकिंग खिड़कियां संचालित की जाती है, उन स्टेशनो पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधानुसार 15 मिनट का लंच ब्रेक विवेकानुसार इस प्रकार से दे कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे व जहाँ पर केवल एक खिड़की है वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का लंच ब्रेक कार्यरत कर्मचारी को दिया जा सकता है"।

यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 11/12 मई 2022 की PNM बैठक में पुनः इस मद पर चर्चा के समय NCRES ने बताया कि जब कभी कोई महिला कर्मचारी ड्यूटी के कार्यकाल में मजबूरीवश लंच बॉक्स खोलकर खाना शुरू करती है तो दूषित मानसिकता के लोग मोबाइल से फोटो खींचकर, विलप वायरल करने की धमकी देकर महिला कर्मचारी को विभिन्न प्रकार से परेशान करते हैं, इसपर PCCM महोदय ने आश्वासन दिया और टिप्पणी दर्ज कराया कि "इस मुद्दे पर पुनः समीक्षा कर निर्देश जारी किया जायेगा।"




— यह भी अवगत कराना है कि बुकिंग क्लर्क फ्रंट लाइन स्टाफ है और आम यात्रियों का सामना सबसे पहले वाणिज्य विभाग के इन्क्वायरी क्लर्क, बुकिंग क्लर्क इत्यादि से ही होता है, और दूसरी तरफ नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के बुकिंग क्लर्कों को 8 घंटे की ड्यूटी में लंच एवं दैनिक क्रियाओं के लिये 15-20 मिनट का ब्रेक न मिलने से बुकिंग क्लर्कों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है व इससे उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है जो रेल एवं यात्री की संरक्षा व सुरक्षा की दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

NCRES का अनुरोध है कि PNM मद संख्या 7/11/2018 के सम्बन्ध में Dy. CCM (G) के पत्र दिनांक 3.6.2020 पर आगरा, झांसी और प्रयागराज मण्डल द्वारा भेजे गये प्रस्ताव/टिप्पणी दिनांक 13.8.2020, 20.8.2020 व 3.9.2020 (संलग्न) पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें और आम जनता तथा कर्मचारी हित में प्रयागराज, झांसी व आगरा मण्डल के Sr. DCM को उचित दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि मण्डलो में कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 8 घंटे की ड्यूटी में भोजन व दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिये 15-20 मिनट का ब्रेक मिल सके और वे तनावमुक्त होकर आम जनता की सेवा कर सकें, जिससे रेलवे की छवि में और सुधार हो सके।

कृपया कृत कार्यवाही से NCRES को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : Sr. DCM आगरा, झांसी व प्रयागराज का पत्र दिनांक 13.8.2020, 20.8.2020 व 3.9.2020

  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री



उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय,  
मंडल रेल प्रबंधक/वा0

आगरा

क्र- मरघ/वा/आगरा/एनसीआरईएस/ अबाव/ 2020

दिनांक - 13.08.2020

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,  
ए प्रयागराज।

विषय- महाप्रबंधक उत्तर मर एनसीआरईएस के साथ दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2020  
को सम्बन्ध रखती गार्डी ट्रेज की बंदी का वास्ता।

संदर्भ- 1. त्रि कार्मिक अधिकारी / मुख्यालय का पत्र संख्या 281 ई / एनसीआरईएस/  
मुताबक / ई-सूचनन दिनांक 09.08.2020  
2. ई- सी / एनसीआरईएस /

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयान्तर्गत आगरा मंडल के वाणिज्य विभाग से सम्बंधित मंडो पर टिप्पणी  
निम्नानुसार है।

	टिप्पणी
/ 2018	<p>कार्मिकों को द्यूटी के बीच में 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्बन्ध में -</p> <p>इस स्टेशन पर चहों पर 02 से अधिक बुकिंग सिडलियां संचालित की जाती है उन स्टेशनों पर गाड़ियों के नियमित टहरण व यात्रियों को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधानुसार 15 मिनट का खूब ब्रेक अपने विवेक से इस प्रकार दे सकता है कि कम से कम एक सिडली कार्यरत रहे।</p> <p>ऐसे स्टेशन जहाँ पर 01 बुकिंग सिडली है वही भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का खूब ब्रेक कार्यरत कर्मचारी ले सकता है।</p>

सुबहार्थ एवं आभारपूर्वक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
मंडल वाणिज्य प्रबंधक  
आगरा



उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/सा.

मण्डल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

झाँसी, दिनांक- 20.08.2020

विषय:- महाप्रबंधक स्तर पर NCRES के साथ दिनांक-25 एवं 26 फरवरी 2020 को सम्पन्न स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक का वृत्तासार।

संदर्भ:- 1. 53-सी/बैठक/ NCRES, दिनांक- 03.06.2020

2. वरि.कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय का पत्र संख्या 961 ई/ NCRES/वृत्तासार/ई-यूनियन, दिनांक- 19.05.2020।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत झाँसी मण्डल के वाणिज्य विभाग से सम्बंधित मदों पर टिप्पणी निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या-95, मद संख्या- 07(112018) के संदर्भ में टिप्पणी-

वाणिज्य लिपिक को कार्य समय के बीच 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्बंध में।

प्रस्ताव- उक्त मद के परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि ऐसे स्टेशनों पर जहाँ पर दो से अधिक बुकिंग खिड़कियां संचालित की जाती हैं, उन स्टेशनों पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधा अनुसार 15 मिनट का भोजन-अवकाश (लंच) अपने विवेक से इस प्रकार दे सकता है कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे।

ऐसे स्टेशन जहाँ पर एक बुकिंग खिड़की है, वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का भोजन-अवकाश (लंच) कार्यरत कर्मचारी से ले सकता है।

आपके सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मण्डल वाणिज्य प्रबंधक,

उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी



# मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

पत्र संख्या- सीएम-1/ विविध/यूनियन /NCRES/ 2020

दिनांक :- 03.09.2020

उप-मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक(सा)  
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

विषय:- महाप्रबंधक स्तर पर एनसीआरईएस के साथ दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2020 को संपन्न स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक का वृत्तसार।

सन्दर्भ :-1. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय का पत्र संख्या 961 ई/ एनसीआरईएस/वृत्तसार /ई-यूनियन दिनांक-09.05.2020.

2. 53-सी/ बैठक/एनसीआरईएस, दिनांक-13.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रयागराज मंडल के वाणिज्य विभाग से पूर्व में पत्रांक सीएम-4/पीएनएम/ एनसीआरईएस/मुख्या/2018-20, दिनांक-15.07.20 को मुख्यालय को प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारियों के लिए एनसीआरईएस द्वारा मांगी गयी सुविधा पर वाणिज्य विभाग को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु नीतिगत विषय होने के कारण इस पर निर्णय रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात ही लागू किया जा सकता है।

पुनः एक बार फिर प्रयागराज मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा सम्बन्धित मद पर टिप्पणी निम्नानुसार है:-

मद संख्या	टिप्पणी
07(11/2018)	<p>वाणिज्य लिपिक को झूटी के बीच में 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्बन्ध में।</p> <p>ऐसे स्टेशनों पर जहाँ पर 02 से अधिक बुकिंग खिडकियां संचालित की जाती हैं उन स्टेशनों पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुए मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक के द्वारा सुविधानुसार 15 मिनट का लंच ब्रेक अपने विवेक से इस प्रकार दिया जाना कि कम से कम एक खिडकी कार्यरत रहे।</p> <p>तथा</p> <p>ऐसे स्टेशनों पर जहाँ पर 01 बुकिंग खिडकी है वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय से 15 मिनट का लंच ब्रेक कार्यरत कर्मचारी को दिया जाना।</p> <p>दोनों ही बिंदु एक उचित मांग है तथा इसपर वाणिज्य विभाग को कोई आपत्ति नहीं है विषय नीतिगत होने के कारण सक्षम अनुमोदन के पश्चात लागू किया जा सकता है।</p>

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

पं० ५/९/२०२०  
सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक  
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज